चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 06.02.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है ।

(2). आज दिनाँक 06.02.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया । पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी ।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 02 अभियुक्तों के कब्जे से 40 क्वार्टर देशी शराब बरामद की ।

(i). उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय थाना मानिकपुर तथा उनके हमराही आरक्षी रामकेश कुशवाहा, आरक्षी शुभम मिश्रा द्वारा अभियुक्त लवकुश पुत्र छोटेलाल कुशवाहा निवासी गिदुरहा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 20 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया ।

(ii). उ0नि0 श्री कन्हैया बक्श सिंह थाना राजापुर तथा उनके हमराही आरक्षी धीरेन्द्र यादव, आरक्षी अजय वर्मा द्वारा अभियुक्त तीरथ पुत्र बदलू निषाद निवासी गड़वा थाना व जनपद कौशाम्बी हाल पता रगौली थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 20 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया ।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यावही के क्रम में थानाध्यक्ष रैपुरा श्री शैलेन्द्र चन्द्र पाण्डेय द्वारा भोली-भाली जनता में भय आतंक फैलाकर गुण्डा गर्दी करने वाले अभियुक्त 1. अनिल पटेल उर्फ प्रदीप पटेल पुत्र काशीप्रसाद 2. भोला प्रसाद पुत्र स्व0 रामप्रताप 3. लवलेश पटेल उर्फ अरविन्द पटेल पुत्र काशी प्रसाद पटेल निवासीगण देहरुचमाफी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 110जी सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी।

(5). आज दिनाँक 06.02.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी द्वारा प्रभारी परिवहन श्री उमाशंकर मिश्र को भारत सरकार से प्रदान किया गया अति उत्कृष्ट सेवा पदक लगाकर अलंकृत किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रभारी परिवहन का मुंह मीठा कराकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गयी।

(6). दिनाँक-05.02.2024 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में मासिक अपराध गोष्ठी आयोजित की गयी । अपराध गोष्ठी में सर्वप्रथम सैनिक सम्मेलन कर अधिकारी/कर्मचारीगण की समस्याओं की जानकारी कर सम्बन्धित को उचित निस्तारण किये जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। सम्मेलन में उपस्थित संयुक्त निदेशक अभियोजन व डीजीसी क्रिमिनल से न्यायालय में लम्बित मुकदमों के अतिशीघ्र निस्तारण के सम्बन्ध में वार्ता की गयी। मीटिंग में उपस्थित सभी शाखा प्रभारियों के कार्यों का मूल्यांकन कर आवश्यक दिशा निर्देश देकर उपस्थित थाना/चौकी प्रभारियों से आगामी लोक सभा चुनाव 2024 की सम्पूर्ण तैयारी के सम्बन्ध में समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। अपराध गोष्ठी में महोदय द्वारा थाना/चौकी प्रभारियों को निम्नलिखित दिशा-निर्देश दिये गयेः-
(i). अवैध खनन और अवैध परिवहन में पुलिस की संलिप्तता के विरुद्ध सचेत रहने के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं।
(ii). पुराने लम्बित मुकदमों सहित वर्ष 2024 में पंजीकृत मुकदमों की गुणवत्तापूर्ण विवेचना के साथ शीघ्र निस्तारणके सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।
(iii). थाना/चौकिया में जो मरम्मत की आवश्यकता है उसके संबंध में कराये जाने वाले कार्यो का इस्टीमेट बनाकर आवश्यक धनराशि प्राप्त कर अतिशीघ्र सम्बन्धित कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया।
(iv). बंदशुदा हिस्ट्रीशीट में अबतक मृतक हिस्ट्रीसीटर का अतिशीघ्र सत्यापन कर उनका HS खाका नष्ट कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
(v). पेशेवर व शातिर अपराधियों को चिन्हित कर चुनाव के दृष्टिगत उन पर गुण्डा एक्ट व गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये जिला बदर कराये जाने हेतु समुचित पैरवी किये जाने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया।
(vi). आगामी लोक सभा चुनाव के दृष्टिगत चुनाव में शांति भंग करने वाले सम्भावित व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही करते हुये भारी धनराशि से पाबंद कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

गोष्ठी में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय, क्षेत्राधिकारी प्रज्ञान श्री अनुज कुमार मिश्र, क्षेत्राधिकारी नगर श्री हर्ष पाण्डेय, क्षेत्राधिकारी मऊ श्री जयकरन सिंह, क्षेत्राधिकारी यातायात/कार्यालय श्री राज कमल, वाचक पुलिस अधीक्षक श्री परितोष दीक्षित, प्रभारी चुनाव सेल श्री प्रदीप कुमार यादव, प्रभारी सोशल मीडिया/साइबर सेल श्री विजय सिंह, प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवनारायण एवं समस्त थाना/चौकी प्रभारी उपस्थित रहे।

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री राजेश कुमार द्विवेदी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री गंगाचरण एवं उनके हमराही द्वारा मु0अ0सं0 40/2024 धारा 354क भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त वसीम खां पुत्र बब्बू खां निवासी ग्राम जाफरपुर मजरा खंडेहा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री गंगाचरण थाना मऊ

2.आरक्षी प्रवीण पाण्डेय

(8). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के मार्गदर्शन में मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चौकी प्रभारी सीतापुर श्री श्यामदेव सिंह तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त सत्येन्द्र सिंह पुत्र भोलानाथ निवासी जगजीत सिंह का पुरवा लौरी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 01 किलो 350 ग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया ।

बरामदगीः-

01 किलो 350 ग्राम अवैध गांजा

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. चौकी प्रभारी सीतापुर श्री श्यामदेव सिंह
2. आरक्षी शिवपूजन यादव
3. आरक्षी अभिषेक यादव

(9). आज दिनांक 06.02.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में नोडल अधिकारी SPC क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में थाना भरतकूप के एसपीसी पुलिस अधिकारी उ0नि0 श्री बालकिशुन द्वारा पूर्व माध्यमिक विद्यालय रौली कल्यणपुर में स्टूडेंट्स पुलिस कैडेट्स के छात्रों को वृद्धों, बुजुर्गों एवं दिव्यांगों की सेवा के सम्बन्ध में विस्तृत रुप से पढ़ाया गया ।

इस दौरान में स्टूडेंट्स पुलिस कैडेट की छात्राओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु महिला व बाल अपराध के बारे में प्रशिक्षित /जागरूक किया गया। शासन द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसेः- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइऩ, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हे जागरूक किया गया तथा शासन के विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों के पम्पलेट्स वितरित किये गए ।

स्टूडेंट्स पुलिस कैडेट को बताया गया कि उनके साथ हो रहे किसी भी प्रकार के उत्पीड़न के सम्बन्ध में पुलिस से ‘‘चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो’’ जिससे उनके साथ हो रहे उत्पीड़न को रोका जा सके । स्टूडेंट्स पुलिस कैडेट को गुड-टच, बैड-टच के सम्बन्ध में विस्तृत रुप से जानकारी देते हुये बताया गया कि अक्सर छोटे-छोटे बच्चों को हमारे जानने वाले ही बैड-टच करते हैं और हम समझ नहीं पाते, इसके सम्बन्ध में खुलकर बतायें तथा घर पर अपने छोटे भाई/बहन को भी गुड-टच, बैड-टच के सम्बन्ध में बतायें ।

(10). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार एवं पैरोकार आरक्षी आकाश कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय सिविल जज जूनियर डिवीजन सुश्री सोनम गुप्ता द्वारा थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 237/2014 धारा 60(2) की आरोपी अभियुक्ता नथिया पत्नी स्व0 कमलेश निवासी कुसिया का पुरवा मजरा पराको थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 500 रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।